मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

''मंत्रालय''

वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक जी-25/10/94/सी/चार, भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 1994.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:-- उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ता.

इस विषय पर वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक:--

1. 159-सी.आर. 80-चार-नि-1, दिनांक 1-2-58,
2. 725-सी. आर. 308-चार-नि-1, दिनांक 17-3-60,

सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक:--

3. 84-1301 (जी.एंड.एम), दिनांक 13-5-60 और वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक:--
4. एफ. ए/1/5/73/नि-1/चार, दिनांक 31-1-74,
5. एफ-ए1/3/84/नि-1/चार, दिनांक 1-9-84,
6. एफ-ए-1/1/86/नि-2/चार, दिनांक 1-4-86,
7. एफ-डी-379/1694/87/नि-2/चार, दिनांक 22-7-87,
8. डी-664/1975/88/नि-1/चार दिनांक 30-11-88.
9. 1/2600/88/नि-1/चार, दिनांक 3-1-89,
10. डी. 351/आर-4984/89/नि-6/चार, दिनांक 14-3-90 और
11. एफ. सी-7/1/नि-6/चार/90, दिनांक 10-12-90

को निरस्त करते हुए निम्नानुसार समेकित नये निर्देश जारी किये जाते हैं:--

1. जब किसी शासकीय सेवक को अपने काम के अलावा दूसरे ऊंचे रिक्त पद का काम करने के निर्देश दिये जाएं तो इस बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित औपचारिक आदेश (formal orders) जारी किये जाएं.

2. एक शासकीय कर्मचारी को अपने काम के अलावा दूसरे ऊंचे पद का अतिरिक्त काम करने के लिए ऊंचे पद के न्यूनतम मासिक मूल वेतन के 6.25 प्रतिशत की दर से दोहरा कार्य भत्ता दिया जाए. इस भत्ते की अधिकतम सीमा रुपये 250 प्रतिमाह होगी.

3. अगर ऊंचे पद का अतिरिक्त काम करने की अवधि 15 दिन से कम होगी तो यह भत्ता देय नहीं होगा. जिन मामलों में इस तरह का अतिरिक्त काम करने की अवधि एक साल से ज्यादा होगी, उन मामलों में यह भत्ता एक साल तक सीमित रहेगा. अर्थात 15 दिन से ज्यादा लेकिन एक साल से कम की अवधि के लिये यह भत्ता स्वीकार योग्य होगा.

4. दोहरा कार्य भत्ता पाने की पात्रता उन प्रकरणों में नहीं होगी जहां ऊंचा पद निर्मित होने की तारीख से ही रिक्त हो.

5. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति आदेश ऊंचे पद की पूर्ति हो जाने के बाद अथवा एक साल पूरा होने के बाद (जो भी पहले हो) जारी किये जायें. जारी करने के पूर्व सक्षम अधिकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार जानकारी प्राप्त कर अपने को संतुष्ट कर ले.

6. दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने के पूरा अधिकार विभागाध्यक्ष को होगें.

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगें. वर्तमान में लंबित प्रकरण भी इन आदेशों के तहत निपटाए जाएंगे. लेकिन पूराने निपटाए प्रकरणों को फिर से नहीं खोला जाएगा.

3. इन निर्देशों को विशिष्ठ शासकीय सेवकों के प्रकरणों में शिथिलीकृत नहीं किया जाएगा. अगर किसी विभागाध्यक्ष या किसी और स्त्रोत से शिथिलीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो प्रशासकीय विभाग ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगें.

हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक जी-25/10/94/सी/चार, भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 1994.

प्रतिलिपि:--

(1) राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल.
(2) सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर.
(3) नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल/ लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल/ समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित
(4) महालेखाकार, मध्यप्रदेश (लेखा और हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय एवं महालेखाकार, आडिट प्रथम/द्वितीय, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
(5) सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित
(6) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ.

हस्ता./-
(वरुण वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

प्रपत्र

क्रमांक जी-25/10/94/सी/चार

उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने के संबंध में विवरण/अनुशंसा

(1) अधिकारी/ कर्मचारी का नाम/पद . . . .
वेतनमान, जिसको दोहरा कार्य भत्ता . . . .
स्वीकृत किया जाना है.

(2) दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत होने की . . . .
अवधि.

(3) ऊंचे पद का नाम और वेतनमान, ...
जिसके पद के कार्य के लिए . . . .
व्यवस्था की गई है.

(4) क्या उपरोक्तानुसार व्यवस्था . . . .
सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित . . . .
अनुमोदित की गई? आदेश की
प्रति संलग्न करें.

(5) अतिरिक्त कार्य लेते समय तथा सौंपते समय
अधिकारी/कर्मचारी के पास पेन्डिग प्रकरण/
पेपर्स की (संख्या में) जानकारी:--

	चार्ज लेते समय	**जार्च देते समय**
(1) मूल पद से संबंधित	. . . .	. . . .
	. . . .	. . . .
(2) ऊंचे पद से संबंधित	. . . .	. . . .

(6) क्या दोहरा वेतन भत्ता पाने . . . .
वाले कर्मचारी/अधिकारी द्वारा . . . .
दोनों पदों का काम पूरी तरह . . . .
निराकरण किया गया? यदि नहीं
तो क्यों? विस्तृत जानकारी दी जावे.

(7) क्या प्रश्नाधीन अवधि में दोनों पदों . . . .
के कार्य से नियंत्रक अधिकारी सन्तुष्ट है? . . . .

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी